रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127

REGISTERED NO. D.

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

PUBLISHED BY AUTHORITY
प्राधिकार से प्रकाशित

सं. 104] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 8, 1990/वैशाख 18, 1912
No. 104] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 8, 1990//VAISAKHA 18, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

निर्यात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं. 27-ई. टी. सी. (पीएन)/90

नई दिल्ली, 8 मई, 1990

विषय :-- सेफ्लावर के बीज (करडी बीज) का निर्यात।

फा. सं. 38/10/90-ई-II :-- 1. संदर्भ :-- आयात-निर्यात नीति, 1990-93 (खंड-2) के भाग "ख" की सूची-2 की क्रम सं. 22.

2. उद्देश्य :-- उक्त पुस्तक के भाग-1 के पैराग्राफ 31-33 में निहित प्रक्रिया के अनुसार करडी बीज का निर्यात सीमित सीलिंग के भीतर अनुमेय है। इस अधिसूचना का उद्देश्य उक्त नीति पुस्तक के भाग-1 के पैरा 13(3) की शर्तानुसार चालू वर्ष के लिए रिलीज की जाने वाली सीमित सीलिंग के अनुसार सेफ्लावर के बीज (करडी बीज) के निर्यात हेतु निम्नोक्त विशेष प्रक्रिया निर्धारित करना है।

3. (क) विशेष प्रक्रिया :- सेफ्लावर के बीज (करडी बीज) के निर्यात हेतु सीलिंग को भारतीय तेल तथा उत्पाद निर्यातक संघ, बम्बई (आई. ओ. पी. ई. ए.) द्वारा निपटान पर छोड़ा जाता है।

संविदाओं के पंजीकरण हेतु अभिकरण

3(ख) (1) निर्यातक अपनी संविदाएं जोकि 100% अपरिवर्तनीय साख-पत्र द्वारा अनुसमर्थित हों, आई ओ पी ई ए के पास पंजीकृत करा सकते हैं।

(2) आई. ओ. पी. ई. ए. कुल उपलब्ध सीलिंग के 10% से अधिक का किसी भी वैयक्तिक निर्यातक को आबंटन नहीं करेगी।

(3) आई. ओ. पी. ई. ए. सीलिंग का आबंटन इस सार्वजनिक सूचना के जारी होने की तारीख से 15 दिन के उपरांत कर सकता है।

(4) उक्त शर्तों के पूर्ण करने पर आई. ओ. पी. ई. ए. निर्यातक का नाम, निर्यात आदेश संविदा की संख्या और तारीख और अपरिवर्तनीय साख पत्र, अनुमेय मात्रा, जहाज पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य और गन्तव्य स्थान जैसा पूर्ण ब्यौरा देते हुए "पहले आए तो पहले पाए" के आधार पर निर्यातक को सीलिंग स्लिप जारी करेगा।

3(ग) लाइसेंस जारी करना : कोई भी दी गई सीलिंग की सूचना संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी को भेजेगा, जो आई. ओ. पी. ई. ए. से सूचना की प्राप्ति हो जाने पर 48 घंटे के भीतर निर्यात लाइसेंस जारी करने की तारीख से या लाइसेंसिंग वर्ष के 31 मार्च से इसमें जो भी पहले हो, 6 मास की वैधता सहित निर्यात लाइसेंस जारी करेगा।

3(घ) पंजीकरण की अंतिम तिथि : लाइसेंसिंग वर्ष के 31 मार्च के बाद न तो किसी संविदा का पंजीकरण किया जाएगा न ही 31 मार्च, 1991 के बाद आई. ओ.पी.ई.ए. किसी निर्यात की अनुमति देगा चाहे सीलिंग की मात्रा अप्रयुक्त भी रह गई हो।

4. दण्डों संबंधी कार्रवाई- निर्यातक का यह प्रयास होना चाहिए कि उसे आबंटित सीलिंग की मात्रा का पूर्ण रूप से निर्यात करे। लेकिन, यदि कोई निर्यातक उसे आबंटित पूर्ण मात्रा का निर्यात करने में असमर्थ रहता है

तो लाइसेंसिंग प्राधिकारी उसे उसी पण्य वस्तु के लिए आगे निर्यात लाइसेंस प्राप्त करने से वंचित करने के लिए दण्ड संबंधी कार्रवाई करेगा। ऐसी कार्रवाई करने से पूर्व लाइसेंस प्राधिकारी निर्यातक को सुनवाई का अवसर देंगे। इस प्रकार किए गए विवर्जन के विरुद्ध अपील निर्यात लाइसेंसिंग समिति को जा सकती है।

5(1) मानिटरिंग :- निर्यातक द्वारा रिपोर्ट भेजना : निर्यातकों को पोतलदान की तारीख से 15 दिनों के भीतर या निर्यात लाइसेंस के समाप्त होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर आई ओ पी ई ए और संबंधित क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी को निर्यात के ब्यौरे के संबंध में एक रिपोर्ट भेजनी होगी। ऐसा करने में असफल रहने पर यह समझा जाएगा कि उनका निर्यात शून्य है और निर्यात नीति, 1990-93 के खंड-1 के पैरा 33 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

(2) आई. ओ.पी. ई. ए. द्वारा : सीलिंग समाप्त होते ही, आई. ओ. पी. ई. ए. मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात और वाणिज्य मंत्रालय (ई. पी. एग्री.-2) अनुभाग को रिपोर्ट करेगा।

(3) आई. ओ. पी. ई. ए. द्वारा एक मासिक विवरण जिसमें पूर्ण ब्यौरा जैसे निर्यातक का नाम, अनुमति मात्रा, जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य और गंतव्य स्थान दिखाए गए हों, वाणिज्य मंत्रालय को भेजा जाएगा और इसकी एक प्रति इस कार्यालय में सांख्यिकी निदेशक (श्री रामूर्ति) को भेजी जाएगी।

6. इस सार्वजनिक सूचना को लोकहित में जारी किया गया है।

तेजेन्द्र खन्ना, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

(Export Trade Control)

PUBLIC NOTICE NO. 27-ETC(PN)/90

New Delhi, the 8th May 1990

Subject: Export of Safflower Seed (Kardi Seed).

File No. 38/10/90-E-II :—1. Reference: Serial Number 22, of List-2 of Part 'B' of Import and Export Policy 1990-93, (Vol. II).

2. Purpose: Export of Safflower Seed (Kardi Seed) is allowed within a limited ceiling as per the procedure laid down in paragraphs 31-33 of Section 1 of the said Book. The purpose of this Notification is to lay down the following special procedure for the export of Safflower Seed (Kardi Seed) as per the ceiling limits released for the current year, in terms of Para 13(3) of Section I of the said Policy Book.

3.(a) Special Programme: The ceiling for export of Safflower Seed (Kardi Seed) is placed at the disposal of Indian Oil & Produce Exporters Association, Bombay (IOPEA).

AGENCY FOR REGISTRATION OF CONTRACTS:

3(b) (i) The exporters are required to register their contracts backed by 100% Irrecoverable letters of Credit with IOPEA.

(ii) IOPEA will not allocate more than 10% of the total available ceiling to any individual exporters;

(iii) IOPEA may commence allocation of the ceiling after 15 days from the date of issue of this Public Notice.

(iv) On fulfilment of said conditions, IOPEA will issue ceiling slips to the exporters, on first-come, first served basis, indicating full particulars such as the name of the exporter, number and date of Export Order/contract and Irrevocable Letter of Credit, quantity allowed, f.o.b. value and the destination.

3.(c) Issue of Licences :—IOPEA shall send the ceiling advice to the concerned Port Licensing Authority, who on receipt of the same from IOPEA, shall issue export licence within 48 hours with validity of six months from the date of issue or 31st March of licensing year, whichever is earlier.

3(d) Last date for Registration: Neither registration of contracts will be made after 31st March of the licensing year nor any export will be allowed by IOPEA after 31st March, 1991, even if the quantity of the ceiling remain unutilised.

4. Penal Action: It should be the endeavour of the exporters to export the quantity of ceiling allotted to them, in full. However, if any exporter fails to export the full quantity allocated, then the licensing authorities will take action to debar him from receiving further export licences for the same commodity. Before taking such an action, the licensing authority will provide an opportunity to the exporter to be heard. Appeals against such departments can be made to the Export Licensing Committee.

MONITORING:

5(i) Furnishing of Report by Exporters: Exporters are required to furnish a report regarding details of exports to IOPEA and the concerned port licensing authority within 15 days from the date of shipment or within 15 days from the date of expiry of export licence. Failure to do so will be considered that their exports is nil and action will be taken in terms of Para 33 of Section I of Export Policy 1990-93.

(ii) By IOPEA: As soon as the ceiling is exhausted, IOPEA will report to the CCI&E and the Ministry of Commerce, EP(Agri. II) Section.

(iii) A monthly statement indicating the full details, such as name of the exporter, the quantity allowed, f.o.b. value and destination will be furnished by IOPEA to the Ministry of Commerce, EP (Agri.II) Section with a copy to the Director of Statistics (Shri Ram Murti) of this office.

6. This Public Notice is issued in the Public interest.

TEJENDRA KHANNA, Chief Controller of Imports & Exports

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1990